

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी सीकर

जामुनारायण

इन्टर हाउजेज

वनाम

किशोर

22/2024

वाक-पत्र

12/24

पत्रावली पेस करी मदि उपपक्ष एजिरी  
 अधिकारी स. 24 द्वारा न्यायालय हाजा के  
 लक्षण उपस्थित होकर नोटिस किया गया कि  
 कि मैं मैं (आवेदन दिनांक 2/6/24 पर कोई  
 कार्यवाही नहीं कला चाही है। अतः  
 प्रत्येक के लक्षण है। आदिम डिपि जारी  
 की जारी है जो कोई आपत्ति नहीं है प्रतिक्रि  
 स-24 के पदचान अदि. की मदेश उगा  
 जाजइ द्वारा की गई अर: अदि. उपपक्ष  
 के लक्षण के आदिम डिपि जारी की जागी  
 है। लक्ष्मीलक्ष्मी लोकर के प्राप्ति माजन  
 प्रत्येक उभाक: - 31/1 दिनांक 20/05/2024  
 निर्णय का भाग रहेगा पत्रावली के लक्षण  
 अन्तर्गत नम्बर के कम हेतु दाखिल  
 एफर हो। निर्णय भाज में इत्यादि के  
 (कुनाय) 24)

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

में कोई कार्यवाही  
 नहीं चाही है।  
 अतः प्रत्येक के  
 लक्षण है। आदिम डिपि  
 जारी है जो कोई  
 आपत्ति नहीं है।

*(Signature)*

पदचान कला

*(Signature)*

किमान उपपक्ष  
 के लक्षण डिपि  
 जारी की जागी  
 है। लक्ष्मीलक्ष्मी  
 लोकर के प्राप्ति  
 माजन प्रत्येक  
 उभाक: - 31/1  
 दिनांक 20/05/2024

पदचान कला

*(Signature)*

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर (राजस्थान)

क्रमांक:-राजस्य / 2024 / 496


दिनांक:-18 मार्च, 2024

हसीलदार,  
सीकर

विषय:-दावा मु.न. 22/2024, बउनवानी जामुनारायण इन्टरप्राईजेज बनाम  
किशोर में अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 12.06.2024 की पालना  
हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण दावा मु.न.  
22/2024 बउनवानी जामुनारायण इन्टरप्राईजेज बनाम किशोर में अंतिम डिक्री  
निर्णय दिनांक 12.06.2024 को पारित किया गया है। अतः निर्णयादेश की प्रति पत्र  
के संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन  
प्रैरह न हो तो नियमानुसार निर्णय आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(जय कौशिक)  
उपखण्ड अधिकारी- सीकर  
उपखण्ड अधिकारी सीकर